संख्या-   /2016/   /पांच-6-16-30(निर्माण)/16

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6   लखनऊ   दिनांक 02 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 2016 7

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मोतीलाल नहरू मण्डलीय चिकित्सालय, इलाहाबाद में चिकित्सालय भवनों के जीर्णोद्वार, मॉड्युलर किचन, फायर फायटिंग सिस्टम, लाण्ड्री, आयुष भवन, प्लास्टिक एवं बर्न यूनिट के कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या- 11166/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 22.12.2016 तथा महानिदेशक के पत्र संख्या-10706/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 16.11.2016 व पत्र संख्या- 29फ/5(3)/16/208 दिनांक 21.10.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मोतीलाल नहरू मण्डलीय चिकित्सालय, इलाहाबाद में चिकित्सालय भवनों के जीर्णोद्वार, मॉड्युलर किचन, फायर फायटिंग सिस्टम, लाण्ड्री, आयुष भवन, प्लास्टिक एवं बर्न यूनिट के कार्यो हेतु रू0 257.34 लाख (रूपया दो करोड़ सत्तावन लाख चौतिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 128.67 लाख (रूपया एक करोड़ अट्ठाईस लाख सड़सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(2) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा निर्माण इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा और निर्माण इकाई को उक्त धनराशि एम0ओ0यू0 निष्पादित होने पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(6) निर्माण अवधि में प्रस्तावित परियोजना के स्कोप डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना न किया जाय।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) प्रस्तावित कार्यो का व्यय स्वीकृति आगणनों की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिक अनिधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।

(9) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(10) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(12) आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-42 जिला पुरूष/महिला चिकित्सालयों में सुधार, विस्तार एवं नवीनीकरण-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 05 /2017/ 3125 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा – परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4- अपर निदेशक, (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- निदेशक (चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें , उ0प्र0, लखनऊ ।
7- अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, 'उ0प्र0 यू0पी0आर0एन0एस0एस0 (पैकफेड), इलाहाबाद ।
10- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मोती लाल नेहरू मण्डलीय चिकित्सालय, इलाहाबाद।
11- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
12- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
13- विभागीय वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- /2016/ /पॉच-6-2016-112(जी.)/13

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, ~~दिसम्बर~~, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10718/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 16.11.2016 तथा शासनादेश संख्या-33/341/पांच-6-2014-112(जी.)/13 दिनांक 27.08.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27.08.2014 द्वारा जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-2272.30 लाख की मूल स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक दिनांक 14.10.16 में उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-2695.59 लाख की पुनरीक्षित लागत अनुमोदित की गयी।

2- अतएव व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के अनुसार जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-2695.59 लाख (रूपया छब्बीस करोड़ पन्चानबे लाख उनसठ हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-33/341/पांच-6-2014-112(जी.)/13 दिनांक 27.08.2014 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) व्यय वित्त समिति की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(7) उक्त प्रायोजना को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में प्रायोजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

(8) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(13) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि शर्म विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(14) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(15) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-1795/दस-16 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 02 /2016/ 2860 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।

5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।

6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सुल्तानपुर ।

7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर ।

9- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर।

10-प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, सुल्तानपुर।

11- प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ ।

12- वित्त (व्यय नियंत्रणं) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।

13- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

14- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

15-विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

उप सचिव।

संख्या- /2016/ /पांच-6-16-78(नि0)/16

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक ~~दिसम्बर~~ 02 जनवरी, 2016

विषय-: वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामु0स्वा0केन्द्र, समधन, कन्नौज के भवन निर्माण कार्य की प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10897/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 30.11.16 व शासनादेश संख्या-67/2159(1)/पॉच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश 10.10.14 द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र, समधन, कन्नौज के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-374.14 लाख की मूल स्वीकृति मानकीकृत लागत के आधार पर निर्गत की गयी। तदोपरान्त उक्त सामु0स्वा0केन्द्र के भवन निर्माण के लिये विस्तृत आगणन को पी0एफ0ए0डी0 द्वारा रू0-597.10 लाख मूल्यांकित किया गया।

2- अतएव आपकी उक्त संस्तुति व पी0एफ0ए0डी0 द्वारा उक्त मूल्यांकित लागत के आधार पर सामु0स्वा0केन्द्र, समधन, कन्नौज के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-597.10 लाख (रूपया पॉच करोड़ सतानबे लाख दस हजार मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-:

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-67/2159(1)/पॉच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय वित्त समिति की शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य

योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्य मदें जिनकी कार्य दरें लोक निर्माण की दर अनुसूची में उपलब्ध नहीं है, की लागत आकलन बाजार दरों पर किया गया है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमां तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।

(11) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(13) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो।

(15) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(16) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-67/2159(1)/पॉच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14 की यथावत रहेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-1775/दस-16 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या- 01 2016/2890 (1)/पाँच-6-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कन्नौज ।

4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कन्नौज ।

5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

8- संबंधित प्रबन्ध निदेशक/निदेशक /परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, कन्नौज ।

9- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

10- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

11- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

उप सचिव

संख्या- /2017/ /पांच-6-2017-130(जी)/15टी0सी0

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में ट्रामा सेन्टर तथा ट्रामा एण्ड मास कैजुएलिटी प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत जनपद-बहराइच के पुराने चिकित्सालय परिसर में उपलब्ध भूमि पर ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11264/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 28.12.2016 व शासनादेश संख्या-85/2016/442/पांच-6-2016-130(जी0)/2015, दिनांक 18.03.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 18.03.2016 द्वारा जनपद-बहराइच के पुराने चिकित्सालय परिसर में उपलब्ध भूमि पर ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु 168.76 लाख (रूपया एक करोड़ अड़सठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 5.85 लाख (रूपया पांच लाख पचासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

2. अतएव प्रश्नगत कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में द्वितीय किश्त के रूप में चालू अंश के अन्तर्गत 162.91 लाख (रूपया एक करोड़ बासठ लाख इक्यानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू अंश के रूप में श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/आवंटन/व्यय, वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 में निर्धारित दिशा निर्देशों तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में व्यय की जायेगी तथा इसे बैंक/पी0एल0ए0 आदि में नहीं रखा जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत के आहरण एवं निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के समस्त सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-85/2016/442/पांच-6-2016-130(जी0)/2015, दिनांक 18.03.2016 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32- लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-09 ट्रामा सेन्टर तथा ट्रामा एण्ड मास कैजुअलिटी प्रबन्धन योजना-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 04 /2017/3143 (1)/पांच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच।
4. अपर निदेशक (नियोजन/बजट)/अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गोण्डा मण्डल गोण्डा।
7. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, गोण्डा।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
10. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

आज्ञा से

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- /2016/ /पांच-6-16-74(नि0)/16

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 02 जनवरी, ~~दिसम्बर~~, 2017

विषय-: वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद कन्नौज, फतेहपुर, सम्भल, सोनभद्र व आगरा के 06 सामु0स्वा0केन्द्रों की चालू अंश के रूप में रू0'-1903.11 लाख की प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10103/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 30.09.16 तथा शासनादेश संख्या-359/2016/2430/पॉच-6-16-74(नि0)/16 दिनांक 22.12.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 22.12.16 द्वारा जनपद कन्नौज, फतेहपुर, सम्भल, सोनभद्र व आगरा के 06 सामु0स्वा0केन्द्रों के लिये संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित सामु0स्वा0केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु संलग्न तालिका के कालम-3 में अंकित विवरणानुसार विस्तृत आगणन की प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

2- अतएव जनपद कन्नौज, फतेहपुर, सम्भल, सोनभद्र व आगरा के 06 सामु0स्वा0केन्द्रों के भवन निर्माण कार्यो को पूर्ण कराये जाने के लिये शासनादेश दिनांक 22.12.16 द्वारा स्वीकृत लागत के अन्तर्गत संलग्न तालिका के कालम-4 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0-1903.11 लाख (रूपया उन्नीस करोड़ तीन लाख ग्यारह हजार मात्र) की केवल प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-:

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-359/2016/2430/पॉच-6-16-74(नि0)/16 दिनांक 22.12.16 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(5) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(6) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-359/2016/2430/पॉच-6-16-74(नि0)/16 दिनांक 22.12.16 की यथावत रहेगी।

3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32-लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-104 सामु0स्वा0केन्द्र-03 नये सामु0स्वा0केन्द्रों का भवन (चालू अंश जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या- 03 /2017/3154 (1)/पॉच-6-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कन्नौज, फतेहपुर, सम्भल, सोनभद्र व आगरा ।
4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कन्नौज, फतेहपुर, सम्भल, सोनभद्र व आगरा ।
5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- संबंधित प्रबन्ध निदेशक/निदेशक /परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम/सी0एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कन्नौज, फतेहपुर, सम्भल, सोनभद्र व आगरा ।
9- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
10- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
11- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 03 /2016/ 3144 पांच-6-16-74(नि0)/16 तददिनांक 02 जनवरी, ~~दिसम्बर~~ 2016 का संलग्नक

(रूपया लाख में)

क्र.सं.	सामु0स्वा0केन्द्र का नाम	शासनादेश दिनांक 22.12.16 द्वारा स्वीकृत कुल लागत	चालू अंश के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	सामु0स्वा0केन्द्र, विशुनगढ़, कन्नौज	507.88	257.88
2	सामु0स्वा0केन्द्र, उमरदा, कन्नौज	501.11	251.11
3	सामु0स्वा0केन्द्र, दपसौरा, फतेहपुर	508.59	408.59
4	सामु0स्वा0केन्द्र, कैलादेवी, सम्भल	504.85	130.71
5	सामु0स्वा0केन्द्र, कोन, सोनभद्र	504.78	404.78
6	सामु0स्वा0केन्द्र, अछनेरा, आगरा	550.04	450.04
		3077.25	**1903.11**

(रूपया उन्नीस करोड़ तीन लाख ग्यारह हजार मात्र)

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।